भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 187
गुरुवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में भारत का उदय

***187. श्री दुष्यंत सिंहः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों द्वारा किए गए विमान बेड़े के महत्वपूर्ण विस्तार और भारतीय हवाई क्षेत्र से पारगमन करने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात के दृष्टिगत वैश्विक विमानन केन्द्र के रूप में उभरने हेतु देश की वर्तमान क्षमता और तैयारियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान 'हब' विमानपत्तनों के विकास, 'उड़ान' योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क और प्रमुख विमानपत्तनों पर 'मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी' में वृद्धि सहित विमानपत्तन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा देने और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में सहायता के लिए कौशल विकास, कार्यबल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में भारत का उदय" के संबंध में श्री दुष्यंत सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 12.02.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 187 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अनुसार, भारत के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन देशों में स्थान बनाने की क्षमता है। विमानन केंद्रों के विकास के लिए, इस मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श से अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र रणनीति तैयार की है।

(ख): मौजूदा हवाईअड्डों के उन्नयन और ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के माध्यम से हवाईअड्डा अवसंरचना का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जा रहा है। देश में हवाईअड्डा अवसंरचना में सुधार करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पीपीपी भागीदारों ने वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के दौरान 96000 करोड़ रुपये से अधिक का पूँजीगत व्यय किया है। इसके अतिरिक्त, आरसीएस-'उड़ान' एक बाजार संचालित योजना है जिसमें एयरलाइनों द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बोली प्रक्रिया हेतु असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को सूचीबद्ध किया जाता है। दिनांक 20.01.2026 तक, 15 हेलीपोर्टों और 2 वाटर एयरोड्रोमों सहित 93 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले कुल 657 मार्गों को प्रचालनरत किया गया है। सरकार ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (पीएमजीएसएनएमपी) के तहत अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के रूप में प्रमुख हवाईअड्डों पर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हेतु एकीकृत आयोजना का प्रावधान किया है।

(ग): सरकार ने भारत के विमान एमआरओ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपायों की शुरुआत की है, जिनमें रॉयल्टी समाप्त करने वाले नए दिशानिर्देश, पारदर्शी भूमि आवंटन, पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ घटी हुई आईजीएसटी और जीएसटी दरें, मरम्मत हेतु माल के निर्यात और पुन: आयात के लिए विस्तारित समय-सीमा आदि शामिल हैं। भारत में एमआरओ सेवाओं के उद्देश्य से आने वाली अनुसूचित या गैर-अनुसूचित उड़ानों के विदेशी पायलटों और चालक दल को बिजनेस वीजा और अस्थायी लैंडिंग परमिट (टीएलपी) प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने हेतु वीजा मैनुअल में भी संशोधन किया गया है।

(घ): भारत सरकार ने देश में विमानन कौशल विकास पारितंत्र के निर्माण की दिशा में अनेक पहल की हैं, जैसे उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति जारी करना, एफटीओ अनुमोदन में तेजी लाने के लिए नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) में संशोधन, प्रशिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, बेंचमार्क का मानकीकरण और क्षमता को इष्टतम बनाना। विमान के रखरखाव के लिए सक्षम/कुशल जनशक्ति के विकास के लिए पाठ्यक्रम और कुशल प्रशिक्षण अपेक्षाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डीजीसीए ने सीएआर-147 (बेसिक) जारी की है।

*****